संख्या-81/2018/919/26-3-2018-100(115)/99

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 25 मार्च, 2018

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत 09-पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन तथा आवासीय व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक वस्तुओं के क्रय किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्र संख्या-437/20/ज.जा.वि./बजट/2017-18 दिनांक-16.03.2018 एवं पत्र संख्या-470/20(1)/ज.जा.वि./बजट/2017-18, दिनांक-23.03.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर विचारोपरान्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-81 के सुसंगत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजन-06-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र मानक मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रूपया-42.89 लाख (रूपये बयालिस लाख नवासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद के लिये किया जायेगा, जिस हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है। वस्तुओं के क्रय हेतु धनराशि का व्यय क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में जमा नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।

(2)-उक्त मदों पर होने वाला व्यय शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उपर्युक्त अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

(3)- उपर्युक्त धनराशियां व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4)- धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5)-उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-स्वीकृत की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा जो धनराशि अवशेष बचेगी उसे वित्तीय वर्ष के अन्त में राजकोष में समर्पित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक-03.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ0संख्या-81/2018/919(1)/26-3-2018तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3-निजी सचिव,मा0 राज्यमंत्री, समाज कल्याण अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
6-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3
7-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
8-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
9-गार्डफाइल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in